30-8-24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी जा चुकी है। दावा फर्द बटवारा अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। अन्तिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

वा संख्या : 120/2019

शान्तिलाल पिता भूरा जी जाति धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. शोभालाल पिता उँकार जी जाति धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूँ
2. श्री तहसीलदार भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः– 30.08.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा मंडावरी प0ह0 मंडावरी की वर्तमान खतौनी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 09 में आराजी संख्या 246 रकबा 0.6150 हैक्टर भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 2562 से वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम हिस्सा बराबर रूप में अंकित हैं

यह कि वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/2 होकर इसी अनुसार मौके पर दोनो पक्षो के पृथक पृथक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है आराजी का निस्फ पश्चिमी हिस्सा वादी के कब्जे काश्त में है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने ,काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.07.2019 को प्रतिवादी सं0 1 को तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उसने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वादी उक्त वर्णित आराजी में अपना निहित हक हिस्सा 1/2 को जरिये बंटवाडा पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतू मिट्स एण्ड बाउंण्डस में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है। यह कि वाद वर्णित आराजी न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से यह वाद श्रृवणाधिकार का है। वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है।

1– कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित मौजा मंडावरी की आराजी संख्या 246 रकबा 0.6150 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 जरिये विभाजन मौकेपर काबिज अनुसार पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।
2– अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वदी द्वारा प्रस्तूत वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ईकबालिया जवाबदावा प्रस्तूत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का वादी व प्रतिवादी के मध्य विभाजन किया जाना विधि सम्मत है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तूत नही किया गया है।

पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करने से तनकी पत्र कायम नहीं किये जाकर वादी शान्तिलाल के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा साक्ष्य शपथ पत्र पर ही पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श– 1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श–2 अंकित कर अपनी साक्ष्य को पूर्ण किया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रकरण मे साक्ष्य वादी की पूर्ण होने से अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार निवेदन करते हुए वाद वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी सं.1 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्व सुने जाने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रदर्श –1 नकल जमाबंदी मौजा मंडावरी सं. 2072–75 का अवलोकन किया गया , उक्त जमाबंदी में खाता श्री अम्बालाल शोभालाल पिता उँकार धाकड सा.सोनगर के खाते में आराजी संख्या 174 ,179, 185 व 246 किता– 4 रकबा 1.8620 हैक्टर दर्ज अंकित है जमाबंदी में लालस्याही का नोट अंकित है कि नामान्तरण संख्या 2562 दिनांक 22.11.2016 विक्रय में आराजी नं. 246 रकबा 0.6150 हैक्टर में आम्बालाल 1/2 के बजाय शान्तिलाल पिता भूरा 1/2 धाकड साह. देह नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार मौजा पंजीकृत विक्रय से मंडावरी की आराजी संख्या 246 का पंजीकृत विक्रय से विक्रय प्रतिवादी अम्बालाल द्वारा वादी को किये जाने से आराजी संख्या 246 में वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी शोभालाल का हिस्सा 1/2 अंकित कराने का वादी अधिकारी पाया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 246 रकबा 0.6150 हैक्टर भूमि में वादी शांतिलाल पिता भुरा धाकड साकिन सोनगर का हिस्सा 1/2 एव प्रतिवादी सं0 1 शोभालाल पिता उँकार धाकड निवासी सोनगर का हिस्सा 1/2 रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी, मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार, बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस विधि प्रावधान अनुसार तैयार कर दो प्रति में इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./प्रा.डी./2024/2660 दिनांक 18.07.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति कि गई आपत्ति पर भू.अ.नि. बेंगूँ एवं पटवारी मण्डावरी को सुना गया भू.अ.नि. बेंगूँ एवं पटवारी मण्डावरी निवेदन इस प्रकार से किया है कि न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार वाद वर्णित आराजीयात का अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउन्डस के अनुसार विभाजन किया गया है। उक्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर सुना गया एवं फर्द बटवारा रिपोर्ट का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जो सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। मौजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1– श्री शांन्तिलाल पिता भूरालाल घाकड निवासी सोनगर तह.बेंगूँ खातेदार रहन स.भू.वि. बैंक शाखा बेंगूँ

	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
. .	246 मेसे	0.3075	माल।।	2.86
	किता– 1	0.3075		2.86

प्रतिवादी– शोभालाल पिता उंकार घाकड सा.सोनगर खातेदार रहन चित्तौडगढ सह.भू.वि. बैंक शाखा बेंगूँ

	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
. .	246 मेसे	0.3075	माल।	2.86
	किता– 1	0.3075		2.86

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.08. 2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 120/2019

शान्तिलाल पिता भूरा जी जाति धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. शोभालाल पिता उँकार जी जाति धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूँ
2. श्री तहसीलदार भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अनुपस्थित एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1– श्री शांन्तिलाल पिता भूरालाल घाकड निवासी सोनगर तह.बेंगूँ खातेदार
रहन स.भू.वि. बैंक शाखा बेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
246 मेसे	0.3075	माल।।	2.86
किता– 1	0.3075		2.86

प्रतिवादी– शोभालाल पिता उंकार घाकड सा.सोनगर खातेदार
रहन चित्तौडगढ सह.भू.वि. बैंक शाखा बेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
246 मेसे	0.3075	माल।	2.86
किता– 1	0.3075		2.86

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।
अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 120/2019 व अनवान शांतिलाल घाकड बनाम शोभालाल घाकड वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंतिम डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू